THE UTTAR PRADESH VRITTI, VYAPAR, AJIVIKA AUR SEVAYOJAN KAR (NIRASAN) ADHINIYAM, 1970

(UTTAR PRADESH ACT NO. 36 OF 1970)

[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Vritti, Vyapar, Ajivika Aur Sevayojan Kar (Nirasan) Adhiniyam, 1970]

AN

ACT

to provide for the repeal of the Uttar Pradesh Vritti, Vyapar, Ajivika Aur Sevayojan Kar Adhiniyam, 1965

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Vritti, Vyapar, Ajivika Aur Sevayojan Kar (Nirasan) Adhiniyam, 1970. Short title.

2. The Uttar Pradesh Vritti, Vyapar, Ajivika Aur Sevayojan Kar Adhiniyam, 1965, is hereby repealed in respect of the liability to pay tax thereunder with reference to income accruing to any person after the 31st day of March, 1971. Repeal of U. P. Act No. XXI of 1965.

---

*(For statement of Objects and Reasons, please *see* Uttar Pradesh *Gazette* (*Extraordinary*), dated December 30, 1970).

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 21, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on December 23, 1970).

(Received the assent of the Governor on December 29, 1970 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh *Gazette Extraordinary*, dated December 30, 1970).

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 346 जनरल (जेग०)—1971 1,8373 (मे०)

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (निरसन) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1970)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 21 दिसम्बर, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 23 दिसम्बर, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 29 दिसम्बर, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 30 दिसम्बर, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, 1965 के निरसन की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (निरसन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1965 का निरसन

2—उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, 1965 को, 31 मार्च, 1971 के पश्चात् किसी व्यक्ति को होने वाली आय के अभिदेश में उक्त अधिनियम के अधीन देय कर का भुगतान करने के दायित्व के सम्बन्ध में एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 30 दिसम्बर, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।)

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 345 जनरल (लेग)—1971—1,845 (मे०)।